



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63339

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद**

**आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 9352 वर्ष 2026**

अर्जुन उर्फ राजोल परमान उर्फ राजोल परमार ...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : ओम प्रकाश सिंह, शशांक तिवारी, शाश्वत आनंद,  
वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 68**

**माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव**

आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमरेंद्र नाथ सिंह, जिन्हें विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक तिवारी द्वारा सहायता प्रदान की गई, तथा राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक अर्जुन उर्फ राजोल परमान उर्फ राजोल परमार की ओर से थाना सजेती, जिला कानपुर नगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 03 वर्ष 2026, धारा 115(2), 126(2), 309(6), 351(3), 352, 308(5), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी केस क्राइम संख्या में झूठा फंसाया गया है और वह 05.01.2026 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि प्राथमिकी के अनुसार, आवेदक पर आरोप है कि उसने तीन अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचनादाता के साथ मारपीट की और इस घटना में,

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सूचनादाता की बाईं आंख पर चोटें आई हैं और इसके अलावा, आवेदक और सह-अभियुक्तों पर सूचनादाता से 6,600/- रुपये छीनने और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का भी आरोप है।

आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पूरक शपथ पत्र के साथ संलग्न पूरक चिकित्सा रिपोर्ट संलग्नक एस1 के अनुसार, घायल को सिर के पिछले हिस्से में दर्द और उल्टी की शिकायत के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था तथा उसे सीटी हेड और विशेषज्ञ की राय की सलाह दी गई थी, लेकिन गंभीर हमले के आरोप की पुष्टि के लिए कोई सीटी स्कैन या एक्स-रे रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते हैं। इस मामले में 28.01.2026 को आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और आवेदक से अब और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति और गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, प्रथम दृष्टया जमानत के लिए मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

उपर्युक्त केस क्राइम संख्या में शामिल अभियुक्त-आवेदक **अर्जुन उर्फ राजोल परमान उर्फ राजोल परमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो विश्वसनीय जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और विचारण में सहयोग करेगा।

4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

26 मार्च, 2026

रवि प्रकाश

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।